1. सुपर 5000 (कक्षा–10) एवं सुपर 5000 (कक्षा–12) योजना

1. योजना के प्रावधान क्या है ?

(1) योजना का नाम "सुपर 5000 योजना (कक्षा–10)" एवं "सुपर 5000 योजना (कक्षा–12)" है।

(2) पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र एवं पुत्रियो जो म.प्र.माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में किसी शासकीय विद्यालय में अथवा स्वाध्यायी विधार्थी के रूप में अध्ययन करते हुये कक्षा 10वीं में संपूर्ण राज्य की मेरिट में सर्वोच्च 5000 बच्चो में सम्मिलित हैं, अथवा कक्षा 12वीं में संपूर्ण राज्य के मेरिट में अपने संकाय के सर्वोच्च 5000 बच्चो में सम्मिलित हैं, उन्हे आगे अध्ययन जारी रखने के लिये एकमुश्त रूपये 25,000 की सहायता एक बार प्रदान की जाएगी।

2. योजना की पात्रता किसे है ?

(1) वैध परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक के पुत्र एवं पुत्रिया योजना के लिए पात्र होंगे।.

(2) पंजीकृत निर्माण श्रमिक की ऐसी संताने पात्र होंगी जो म.प्र.माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं अथवा कक्षा 12वीं की परीक्षा में किसी शासकीय विद्यालय में अथवा स्वाध्यायी विधार्थी के रूप में अध्ययन करते हुये संपूर्ण राज्य की मेरिट में अपने संकाय के सर्वोच्च 5000 बच्चो में सम्मिलित है।

(3) किसी वर्ष के लिये प्रोत्साहन राशि आगामी कक्षा में प्रवेश लेने पश्चात ही देय होगी।

3. योजना हेतु आवेदन कैसे एवं कहॉ करें ?

(1) योजना के अंतर्गत असंगठित पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, सुसंगत परीक्षा में मेरिट में सर्वोच्च 5000 रैंक में सम्मिलित होने के प्रमाण के साथ, संबंधित विद्यालय के प्राचार्य की अनुसंशा उपरांत संबंधित जिले के सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को प्रस्तुत किये जावेंगे।

(2) योजना हेतु आवेदन प्रत्येक वर्ष को 31 सितम्बर तक स्वीकार किये जाएंगे।

4. योजना की स्वीकृति का अधिकार किन्हें है ?

(1) प्राप्त आवेदन पर प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति सचिव, म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा दी जाएगी।

(2) योजना के अंतर्गत असंगठित पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित विद्यालय के प्राचार्य की अनुसंशा उपरांत संबंधित जिले के सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को प्रस्तुत किये जावेंगे।

(3) स्वाध्यायी विद्यार्थी के प्रकरण में आवेदन उस विद्यालय के प्राचार्य की अनुशंसा के उपरांत प्रेषित किये जाऐंगे, जिस विद्यालय द्वारा स्वाध्यायी विद्यार्थी का सुसंगत परीक्षा का फार्म अग्रेषित किया गया हो।

(4) स्वीकृति की अनुशंसा/स्वीकृति के पूर्व संबंधित छात्र/छात्रा के पिता/माता के मण्डल में पंजीबद्ध होने के साक्ष्य स्वरूप मूल परिचय पत्र का अवलोकन करना अनिवार्य होगा। परिचय पत्र की छाया प्रति के आधार पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(5) जांच के समय पंजीकृत हितग्राही के विगत 12 माह में 90 दिन निर्माण कार्य करने की पुष्टि किया जाना अनिवार्य होगा।

(6) म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्रत्येक वर्ष म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 5000 छात्र/छात्राओ की मेरिट प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड की जाऐगी।

5. भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी ?

(1) प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रोत्साहन राशि पाने हेतु निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन–पत्र म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी मेरिट के प्रमाण सहित संबंधित विद्यालय जहॉ से 10वी कक्षा उत्तीर्ण की है के प्राचार्य की अनुसंशा के साथ संबंधित जिले के श्रम पदाधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) संबंधित श्रम अधिकारी द्वारा वांछित जॉच उपरांत पात्र पाये जाने पर जानकारी सचिव, म. प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को प्रेषित की जाएगी।

(3) सचिव, म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा राज्यस्तरीय जानकारी संकलित कर सूची तैयार की जाएगी तथा सूची में प्रथम 500 छात्र/छात्राओं को आगामी कक्षा में प्रवेश लेने पर योजनानुसार राशि के भुगतान हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी।

6. प्रोत्साहन राशि की दर

(1) प्रोत्साहन राशि की दर – रू. 25000